भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1808
दिनांक 06 मार्च, 2020 को उत्तर दिए जाने के लिए

फार्मा कंपनियों द्वारा यू.सी.पी.एम.पी. का उल्लंघन

1808. श्री डी. कुपेन्द्र रेड्डी:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फार्मा कंपनियों द्वारा समान औषध विपणन प्रथा संहिता (यू.सी.पी.एम.पी.) के उल्लंघन के कई मामले हुए हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में फार्मा कंपनियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा)

(क): से (घ): सरकार ने औषध कम्पनियों द्वारा अपने चिकित्सीय उत्पादों की बिक्री को संवर्धित करने के लिए उनके द्वारा अपनाए जाने वाली अनैतिक गतिविधियों को रोकने के लिए वर्ष 2014 में औषधीय विपणन कार्यकलाप संबंधी एकरूप संहिता (यूसीपीएमपी) तैयार एवं घोषित की थी। को, इसे दिनांक 01.01.2015 से स्वैच्छिक रूप से लागू करने के लिए सभी औषध संघों को दिनांक 12 दिसम्बर, 2014 को भेजा गया। यूसीपीएमपी के प्रावधानों के अनुसार, सभी संघों के लिए यह आवश्यक है कि वे औषध कम्पनियों द्वारा यूसीपीएमपी के उल्लंघन संबंधी शिकायतों की देखरेख के लिए औषध विपणन प्रणाली के लिए आचार समिति (ईसीपीएमपी) एवं औषध विपणन प्रणाली के लिए शीर्ष आचार समिति (एईसीपीएमपी) का गठन करें। कुछ मामलों में, अपने उत्पादों के संवर्धन के लिए अनैतिक गतिविधियों का उपयोग करने के संबंध में कुछ औषध कम्पनियों के विरुद्ध जन स्वास्थ्य अभियान, पंजाब मेडिकल काउंसिल और कुछ व्यक्तियों की ओर से शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन शिकायतों की जांच की गई। कुछ शिकायतों में, यूसीपीएमपी के लागू होने अर्थात् 01.01.2015 से पहले संहिता का उल्लंघन होना पाया गया। ऐसे मामलों में, इन कम्पनियों को यूसीपीएमपी के प्रावधानों का अनुपालन करने के संबंध में एक परामर्शिका जारी कर दी गई। अन्य मामलों में, यूसीपीएमपी के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए शिकायतों को औषध संघों को भेज दिया गया।

*****